न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.- 1697/2026
सुभाष सिंह बनाम बिहार सरकार
[सिवान नगर थाना कांड संख्या 473/2026]
आदेश

10.08.2026 आवेदक/अभियुक्त **सुभाष सिंह पे0 रामचन्द्र सिंह** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1697/2026, सिवान नगर थाना कांड संख्या 473/2026, अंतर्गत धारा अंतर्गत धारा–318(4), 336(3), 338, 340(2) भारतीय न्याय संहिता पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री रिशु सिंह एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन यह है कि ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल सिवान–1 के अधीन निविदा संख्या–144584 में निविदाकार अवनीश कंस्ट्रक्शन के द्वारा गलत अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया है। इस संबंध में अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग का पत्रांक मु0अ0(अ0उ0) 4515–01–1548/2025 328 अनु पटना, दिनांक 28/03/2026 का पत्र संलग्न किया जाता है। अतः निविदा निष्पादन में गलत अनुभव प्रमाण पत्र जमा करने के कारण संवेदक अवनीश कंस्ट्रक्शन के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि सूचक श्री शशि भूषण के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर यह मामला पंजीकृत किया गया है। आवेदक की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दायर नहीं किया गया है। आवेदक का अतीत साफ है और उसके खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। संपूर्ण अभियोजन मामला अधिकारिक अभिलेखों, विभागीय पत्राचार, निविदा दस्तावेजों और सरकारी फाइलों पर आधारित है जो पहले से ही जांच एजेंसी के कब्जे में है इसलिए जांच के उद्देश्य से आवेदक को हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक एक पंजीकृत ठेकेदार है जो वैध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करता है और अनेक श्रमिकों और तकनीकी कर्मियों को रोजगार प्रदान करता है। आवेदक के भागने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः उनके द्वारा आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी सिवान नगर थाना कांड

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
<u>उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी</u>
<u>A.B.P. No.- 1697/2026</u>
सुभाष सिंह बनाम बिहार सरकार
[सिवान नगर थाना कांड संख्या 473/2026]

<u>10.08.202</u>
लगातार

संख्या 473/2026, अंतर्गत धारा अंतर्गत धारा–318(4), 336(3), 338, 340(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आवेदक के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। आवेदक के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता(आर0डब्लू0डी0) सिवान के कार्यालय में जाली अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 4 में वादी शशि भूषण का पुनः बयान अंकित है जिसमें उन्होंने प्राथमिकी एवं घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया है तथा कहा है कि निविदा में संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र में कार्य प्रारंभ की तिथि 27.05.2021 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 26.05.2022 अंकित है जबकि कार्यालय में समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र में कार्य प्रारंभ की तिथि 27.05.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 28.05.2021 अंकित है। इस प्रकार से निविदा में संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र में कार्य प्रारंभ एवं कार्य समाप्ति की तिथि भिन्न–भिन्न है। निविदा में संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र के निर्गत तिथि 12.11.2022 को श्री देवनाथ प्रसाद कार्यपालक अभियंता पदस्थापित थे जबकि निविदा में संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र पर अंकित हस्ताक्षर श्री ललन प्रसाद का है जो उक्त तिथि को पदस्थापित नहीं थे। आवेदक के विरूद्ध अभी अनुसंधान जारी है। आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **सुभाष सिंह** के तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 17.06.2026 को उपरोक्त के आलोक में खारिज किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 10.08.2026

Date of Order/Judgment	10.08.2026
Date of Reserving Order/Judgment	10.08.2026
Uploading Date	12.08.2026
Uploaded By	RAVI KANT